यू.ओ. नोट

विषयः—भ्रष्टाचार / अनियमितता के संबंध में।
संदर्भः—संस्थागत विकास अधिकारी, आरसीडीएफ का यू.ओ. नोट क्रमांक:535 दिनांक 9 अप्रेल, 2018 मय कार्मिक एवं प्रशासनिक अनुभाग का डायरी क्रमांक:92 दिनांक 4 मई, 2018

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत संदर्भित डायरी क्रमांक से प्राप्त महाप्रबन्धक (कार्मिक एवं प्रशासन) के यू.ओ. नोट क्रमांक:19 दिनांक 6 अप्रेल, 2018 के साथ संलग्न परिवादी श्री ज्ञानेश कुमार, जयपुर की राजस्थान सम्पर्क पोर्टल में दर्ज परिवाद संख्या—03181693256451 से **"जवाब दो सरकार"** शीर्षकान्तर्गत शिकायत प्राप्त हुई है।

उक्तत शिकायत के संबंध में वस्तस्थिति यह है कि रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान से प्राप्त पत्रांक:एफ.94(8)सीडीआर / रूल्स / आरसीडीएफ 77 पी—3 दिनांक 18 जनवरी, 2018 से एक पत्र प्राप्त हुआ था।

उक्त पत्र द्वारा राजस्थान को—ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के वर्तमान में प्रभावी उपनियमों में संशोधन प्रस्तावित करते हुए तीन माह की समयावधि में इन्हें राजस्थान को—ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन की आमसभा के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए आमसभा के अनुमोदनोंपरान्त सूचित करने हेतु निर्देशित किया गया है, अन्यथा प्रस्तावित संशोधन आमसभा से पारित मानते हुए स्वतः ही अंगीकृत कर धारा—11(4) के अन्तर्गत पंजीबद्ध कर लिये जावेंगे।

उक्त संदर्भ में आरसीडीएफ के उपनियमों में संशोधन हेतु प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 11 अप्रेल, 2018 को आयोजित राजस्थान को—ऑपरेटिव डेयरी फैड़रेशन लि. की विशेष आमसभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। आमसभा बैठक में उपनियमों में प्रस्तावित संशोधन पर असहमति प्रकट करते हुए विशेष आमसभा द्वारा राजस्थान को—ऑपरेटिव डेयरी फैड़रेशन के उपनिमयों में प्रस्तावित संशोधनों को सर्वसम्मति से अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। आरसीडीएफ पत्रांक:2269 दिनांक 13 अप्रेल, 2018 द्वारा विशेष आमसभा बैठक दिनांक 11 अप्रेल, 2018 का कार्यवाही विवरण श्रीमान् रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान को प्रेषित किया जा चुका है। तात्कालिक संदर्भ हेतु उक्त पत्र मय कार्यवाही विवरण की छाया प्रति संलग्न प्रेषित है।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संस्थागत विकास अधिकारी, आरसीडीएफ का यू.ओ. नोट क्रमांक:535 दिनांक 9 अप्रेल, 2018 मय महाप्रबन्धक (कार्मिक एवं प्रशासन) का यू.ओ. नोट क्रमांक:19 दिनांक 6 अप्रेल, 2018 के साथ संलग्न परिवादी श्री ज्ञानेश कुमार, जयपुर की राजस्थान सम्पर्क पोर्टल में दर्ज परिवाद संख्या—03181693256451 से **"जवाब दो सरकार"** शीर्षकान्तर्गत प्राप्त शिकायत का मूल सैट भी इस यू.ओ. नोट के साथ लौटाया जा रहा है।

4/5/201

(डॉ. एम.एस. नाथावत)
सचिव (बोर्ड सैल)

संलग्न :—उपरोक्तानुसार (2)।

महाप्रबन्धक (कार्मिक एवं प्रशासन) एवं सम्पर्क पोर्टल अधिकारी, आरसीडीएफ
क्रमांक:एफ. (   ) / आरसीडीएफ / बोर्ड / 2018—19 / 28
दिनांक 4 मई, 2018

राजस्थान को–ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड
Rajasthan Co-Operative Dairy Federation Limited

No.RCDF/Aamsabha/F. ( )/2018/ 2269 Dated 13th April, 2018

The Registrar,
Cooperative Societies, Rajaslthan,
Jaipur.

Sub:-Proposals for amendment in the bye-laws of the Rajasthan Co-operative Dairy Federation Ltd., under section 11(1) of the Rajasthan Co-operative Societies Act, 2001.
Ref:-Your letter No.F.94(8)/CDR/Rules/RCDF/77 P-3 dated 18-01-2018

With reference to the subject and above referred letter, the proposals for amendment in the bye-laws of the Rajasthan Co-operative Dairy Federation Ltd., were put up before the Special General Body Meeting held on 11th April, 2018 at RCDF Hq. Jaipur.

Please find enclosed herewith the minutes of the Special General Body Meeting of RCDF as desired by you.

Thanking you,

13/4

(Rajesh Yadav)
Managing Director

Encl:-As above.

"SARAS SANKUL", J.L.N. MARG, JAIPUR – 302 017
Phone No.2702501-508 : Telefax 2702135 : Website : www.sarasmilkfed.coop
E-mail :fo-rcdf@rajasthan.gov.in

-

राजस्थान को–ऑपरेटिव डेयरी फैड़रेशन लिमिटेड़, जयपुर की दिनांक 11–04–2018 को प्रातः 11.30 बजे आयोजित विशेष आमसभा की बैठक का कार्यवाही विवरण।

दिनांक 11 अप्रेल, 2018 को श्री रूपेंग पाटीदार, अध्यक्ष, आरसीडीएफ लि. जयपुर की अध्यक्षता में सम्पन्न विशेष वार्षिक आमसभा की बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थिति हुएः–

1. श्री रूपेंग पाटीदार, अध्यक्ष, आरसीडीएफ लि. जयपुर।
2. श्री रामचन्द्र चौधरी, अध्यक्ष, अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. अजमेर।
3. श्री बन्नाराम मीणा, अध्यक्ष, अलवर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. अलवर।
4. श्री भीखाराम चौधरी, अध्यक्ष, बाड़मेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. बाड़मेर।
5. भी अमृत सिंह, अध्यक्ष, भरतपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. भरतपुर।
6. श्री रामलाल जाट, अध्यक्ष, भीलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. भीलवाड़ा।
7. श्री रेवन्तराम सियाग, अध्यक्ष, उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि. बीकानेर।
8. श्री बद्रीलाल जाट, अध्यक्ष, चित्तौड़गढ़–प्रतापगढ़ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. चित्तौड़गढ़।
9. श्री लालचन्द मूंड, अध्यक्ष, चुरू जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि. सरदारशहर।
10. श्री जसबीर सिंह सहारण, अध्यक्ष, श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. हनुमानगढ़ जंक्शन।
11. श्री मनोहरसिंह, अध्यक्ष, जालोर–सिरोही जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. रानीवाड़ा।
12. श्री ओमप्रकाश पूनिया, अध्यक्ष, जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. जयपुर।
13. श्री रामलाल विश्नोई, अध्यक्ष, पश्चिमी राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. जोधपुर।
14. श्री किशनलाल भींचर, अध्यक्ष, नागौर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. नागौर।
15. श्री सागरमल, अध्यक्ष, सीकर एवं झुन्झूनु जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. सीकर (पलसाना)।
16. श्री दुर्गालाल जाट, अध्यक्ष, टोंक जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. टोंक।
17. डॉ. गीता पटेल, अध्यक्षा, उदयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. उदयपुर।

18. श्री राजेश यादव, प्रबन्ध संचालक, आरसीडीएफ लि. जयपुर (पदेन सदस्य सचिव)।
19. श्री धूपेन्द्र कुमार जैन, वरिष्ठ लेखाधिकारी, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर – प्रतिनिधि अति./प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
20. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, विशेषाधिकारी, गोपालन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर – प्रतिनिधि शासन सचिव, पशुपालन, मत्स्य एवं गोपालन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
21. श्री आर.के. शर्मा, संयुक्त पंजीयक (नियम) – प्रतिनिधि पंजीयक, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर।

दिनांक 11 अप्रेल, 2018 को आरसीडीएफ की विशेष आमसभा की बैठक निर्धारित समय एवं स्थान पर प्रारम्भ हुई। बैठक प्रारम्भ करते हुए आरसीडीएफ अध्यक्ष श्री रूपेंग पाटीदार द्वारा उपस्थित सभी सदस्यगण का स्वागत किया गया। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान ने पत्रांक:एफ. 94(8)सीडीआर/रूल्स/ आरसीडीएफ/77 पी–3 दिनांक 18 जनवरी, 2018 द्वारा राजस्थान सहकारी समितियां अधिनियम, 2001 की धारा 11(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान को–ऑपरेटिव डेयरी फैड़रेशन लि. जयपुर के उपनियमों को संशोधित किया जाना प्रस्तावित करते हुए इन उपनियमों को तीन माह की समयावधि में आमसभा के समक्ष प्रस्तुत कर अनुमोदन से अवगत कराने हेतु सूचित किया गया है, अन्यथा प्रस्तावित संशोधन आमसभा से पारित मानते हुए अधिनियम की उप धारा–11(4) के अन्तर्गत पंजीकृत कर लिये जायेंगे।

रजिस्ट्रार के उक्त निर्देशों की अनुपालना में यह विशेष आमसभा इन प्रस्तावित उपनियमों पर विचार करने के एकमात्र ऐजेण्डा के साथ आहूत की गई है। बैठक नोटिस के साथ ऐजेण्डा की प्रति समस्त सदस्यगण को पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है, जिस पर सदस्यगण द्वारा मनन कर लिया गया होगा। अतः सदस्यगण से अनुरोध है कि वे ऐजेण्डा पर अपने विचारों से अवगत करा कर प्रस्तावित संशोधनों पर अपनी सहमति अथवा असहमति से अवगत करावें, जिससे तद्नुसार धारा 11 के प्रावधानों के तहत रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान को सूचित किया जा सके।

ऐजेण्डा प्रस्ताव संख्या–27(1) राजस्थान को–ऑपरेटिव सोसायटी एक्ट 2001 की धारा 11(1) के अन्तर्गत राजस्थान को–ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन के उपनियमों में संशोधन हेतु प्रस्ताव पर विचार।

रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान ने पत्रांक:एफ.94(8)सीडीआर/रूल्स/ आरसीडीएफ/77 पी–3 दिनांक 18 जनवरी, 2018 द्वारा राजस्थान को–ऑपरेटिव सोसायटी एक्ट 2001 की धारा 11(1) के अन्तर्गत राजस्थान को–ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन के उपनियमों में संशोधन हेतु प्रस्ताव प्रेषित कर इन्हें तीन माह की समयावधि में आमसभा के समक्ष प्रस्तुत कर अनुमोदन से अवगत कराने हेतु सूचित किया गया है, अन्यथा प्रस्तावित संशोधन आमसभा से पारित मानते हुए अधिनियम की उप

धारा–11(4) के अन्तर्गत पंजीकृत कर लिये जायेंगे। आरसीडीएफ के उपनियमों में संशोधन हेतु प्रस्ताव विशेष आमसभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :–

रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान के पत्रांक:एफ.94(8)सीडीआर / रूल्स / आरसीडीएफ / 77 पी–3 दिनांक 18 जनवरी, 2018 द्वारा राजस्थान को–ऑपरेटिव सोसायटी एक्ट 2001 की धारा 11(1) के अन्तर्गत उपनियमों में संशोधन हेतु प्राप्त प्रस्ताव पर आमसभा द्वारा विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। बैठक में उपनियमों में प्रस्तावित संशोधनों कों सहकारिता की भावना के विपरीत बताते हुए प्रस्तावित संशोधन पर असहमति प्रकट करते हुए विशेष आमसभा द्वारा राजस्थान को–ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन के उपनियमों में प्रस्तावित संशोधनों को सर्वसम्मति से अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। तद्नुसार राजस्थान सहकारी समितियां अधिनियम 2001 की धारा 11(3) के अन्तर्गत पंजीयक, सहकारी समितियां, राजस्थान को सूचित करने का प्रस्ताव पारित किया गया।

बैठक के अन्त में अध्यक्ष, आरसीडीएफ लि. द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त आमसभा सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।

(राजेश यादव)
प्रबन्ध संचालक

(रूपेंग पाटीदार)
अध्यक्ष